साँस्कृतिक अधिकार

फ्रिवर्ग घोषणापत्र

क्र.सं.	सम्बन्धि विषय/विषयों	घोषणामे रखनेका औचित्यता
१. २.	आधारभूत सिद्धान्तो परिभाषा	सिंद्धान्तो और परिभाषाओं निश्चितिकरण
३. ४. ५. ६. ७. ८.	पहचान और सांस्कृति धारोहरो एवं सम्पदा सांस्कृतिक सामुदायोंका उल्लेखन सांस्कृतिक जीवन प्रति पहुँच एवं सहभागिता शिक्षा तथा प्रशिक्षणों सूचना और संचार सांस्कृतिक सहयोग	सांस्कृतिक अधिकारका अपरिहार्यता
९. १०. ११. १२.	लोकतान्त्रिक शाषणके शिधातों आर्थिक व्यवस्थाके भितर संलग्नता सार्वजनिक क्षेत्रके कर्ताओंका जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाओंका जिम्मेवारी	कार्यन्वयनका प्रत्याभूति

सांस्कृतिक अधिकार

फ्रिवर्ग घोषणापत्र

१. मानव अधिकारोके विश्वव्यापी घोषणापत्र, संयुक्त राष्ट्रसंघके मानव अधिकारोको दो अनुबन्धों, सांस्कृतिक विविधता सम्बन्धी युनेस्को घोषणा पत्र और दुसरे सम्बन्धित एवं सान्दर्भिक विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय संन्धि सम्झौताओंको स्मरण करते हुए,

२. मानव अधिकारोके विश्वव्यापी, अभिभाज्य और एक दुसरेके प्रति अन्तरनिहित होनेजैसा, सांस्कृतिक अधिकार भी दुसरे मानव अधिकार जैसे हकी मानव मर्यादाका अभिव्यक्ति है और मानव मर्यादाका पूर्वाधार है इस विश्वासको पुनः उद्घाटित करते हुए,

३. सांस्कृतिक अधिकारके उल्लंघनसे पहचान से सम्बन्धित तनावो वा द्वन्द्वोको सृजना करता है जसो हिंसा, युद्ध और आतंकवादका मुख्य कारण है इस दुष्टिकोण के प्रति पूर्ण सहमत होकर,

४. सांस्कृतिक अधिकारका प्रभावकारी कार्यान्वयन नही होने तक सांस्कृतिक विविधताका सच्चे अर्थमे संरक्ष्ण नही हो सकता इस दृष्टिके प्रति भी उत्नाही सामर्थ होते हुए,

५. सभी प्रकारके मानव अधिकारोके सांस्कृति आयामोको आजके समयमे मान्यता देनेकी आवश्यकतायों के मध्यनजर ध्यानमे रखते हुए,

६. सांस्कृतिक विविधता और सांस्कृतिक अधिकारके समान मानव अधिकारके अभिजातिओंमे आधारित दिर्घकालिन विकाशके आविछिन्नता और वैधानिकता के लिए अपरिहार्य तत्व है इस बातको भी मध्य नजर रखते हुए,

७. सांस्कृतिक अधिकारोके उपयोग वा अबलम्न, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय एवं आदिवासी जनजाती जनताके विश्वव्यापी प्रत्याभूति, खासकर विपन्न वर्गके लिए होते हुए अनेक सन्दर्भको अवलोकन करते हुए ।

८. सांस्कृति अधिकारोके मानव अधिकारके अवधारणाके भितर सु-स्पष्टता से और उनके प्रकृती और उल्लंघनके परिनामोंके स्पष्ट समझदारी से, उस तरहके सांस्कृतिक अधिकारको कथित “सांस्कृतिक सांपेक्षता” के सिधान्तके समर्थनमे प्रयोग करने से रोकने ओर उनलोगोको किसी एक समुदायसे दुसरे समुदायको माया ममता करना बहाना मात्र नही बने इस सन्दर्भ प्रति भी बिचार करते हुए,

९. सांस्कृतिक अधिकारोसे, इस पस्तुत घोषणा पत्रमें अभिव्यक्त होने जैसा, मानव अधिकारका अधिकांश संन्धी, सम्झौता एवं महासन्धीयोंमे विखरे हुए अवस्थामे मान्यता पाए हुए है और उन लोगोका आइन्दा एक ही जगहमे जम्मा कर एकत्रित रुपमें रखते हुए, उनलोगोके रुपमको स्पष्ट देखने योग्य सुनिश्चित और

व्यवस्थित करना और उन लोगोके पूर्व उपयोगका व्यवस्था मिलना महत्वपूर्ण है इस बात पर भी विचार करते हुए ,

हमने सांस्कृतिक अधिकारके मान्यता और कार्यान्वयनको स्थानिय, राष्ट्रिय और विश्वव्यापी श्रेणीमे प्रवर्धन करनेकी बातको मध्यनजर करते हुए इस सांस्कृतिक अधिकारोंके घोषणापत्रको तीन क्षेत्रके सम्बन्धित कार्यान्वयन कर्ताके लिएर लागू किया गया है व्ह सार्वजनिक निकाय (राज्यों और उनके निकाययों), नागरिक समाज (गैर सरकारी संघ संस्थाओं), और अन्य मुनाफा करने वालें निकायों वा संघो), निजी संस्था (उद्योग, प्रतिस्ठानों) ।

धारा १ (मौलिक तथा आधारभूत सिद्धान्त)

इस घोषणा पत्रमे उच्चारण एवं स्पष्ट किए गए अधिकार मानव मर्यादाके लिए अपरिहार्य है इसी कारण से ये अधिकार मानव अधिकारके अभिन्न अंकगके रुपमे अवस्थित है और इन अधिकारोंका व्याख्या मानव अधिकारके विश्वव्यापिता, अविभान्जयता और अर्न्तरनिर्भरता के आधारभूत सिधान्तके अनुसार करना चाहिए । इस कारण:

क) ये अधिकार किसी प्रकारके भेदभाव विना जेसै रंग, लिङ्ग, उम्र, भाषा, धर्म, विश्वास, उत्पत्ति राष्ट्रियता अर्थात जातीय उत्पत्ति, सामाजिकता उत्पत्ति एवं हैसियत, जन्म अर्थात अन्य किसी अवस्था जिसके आधारमे कोई व्यक्ति अपने सांस्कृतिक पहचानका निर्माण किया होता है, सभि के लिए समान रुपमे प्रत्याभूत किया गया है,

ख) इस घोषण पत्रमे व्यवस्थित किए गए अधिकारको प्रयोग करते समय वा प्रयोग नकरने पर भी कोई व्यक्ति से या किसी भी व्यक्तिको किसी प्रकारका भेदभाव सहन करना वा भेदभावका शिकार होना नही चाहिए,

ग) कोइ भी मानव अधिकारके विश्वव्यापी घोषणा पत्र तथा मानव अधिकारके अन्य संन्धि सम्झौता वा महासन्धिमे मान्यता प्राप्त अधिकारको नकारात्मक प्रभाव परने की स्थिति इस अधिकारको प्रयोग वा उपयोग करते समय नहि होना चाहिए,

घ) सांस्कृतिक अधिकारके उपयोगको मानव अधिकारके अन्तर्राष्टिय दस्तावेजन द्वारा निश्चित सीमाके भितर ही सीमित रखा जा सकता है, प्रस्तुत घोषणापत्रमे उल्लेखित किसी बात से अन्य किसी भी प्रावधानको नकारात्मक प्रभाव नही परेगा, जो प्रावधान सांस्कृतिक अधिकारके उपयोगके लिए जादे अनुकुल हो वा उसके राष्ट्रिय कानुन वा प्रचलन वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमे रह सकता है,

ङ) मानव अधिकारके प्रभावकारी कार्यान्वयन से उपरोक्त उल्लेखित आधारभूत सिधान्त के प्रकाश मे सांस्कृतिक अधिकारके आयामको ध्यानमे रखे जानेकी आवश्यकताओंको दर्शाता है ।

धारा २ (परिभाषाये)

प्रस्तुत घोषणा पत्रके प्रयोजनार्थ,

क) "संस्कृति" नाम शब्द से उसतरहके सभी मुल्य मान्यताओं, विश्वासेा, आस्था एवं अनुभूतियों, भाषाओं ज्ञान और कला, परम्पराओं संस्थागत व्यवहारों और जीवन पद्दतीको समाहित करते है जिसके द्वारा कोइ व्यक्ति वा समूहद्वारा अपने मानवताको अभिव्यक्त करता है और जिससे उनलोगोके अपने अस्तित्व और विकासका तात्पर्य प्रदान करता है ।

ख) "सांस्कृतिक पहचान" सांस्कृतिक पहचानके अभिव्यक्तिको उनसभी सांस्कृतिक सन्दर्भोंका एकीकृत स्वरुप के रुपमे जाना जाता है जिसके माधयमद्वारा एक व्यक्ति से, अकेले अथवा समुहमे दुसरेके साथमे, अपने आपनत्वको परिभाषित वा निर्माण करता है और उसे अपने मौलिक व्यक्तित्वको सञ्चार करता है और मान्यता पानेकी चाहना रखता है ।

ग) "सांस्कृतिक समुदाय" उस तरहके व्यक्तियों के समूहको परिभापित करता है जो संयुक्त सांस्कृतिक पहचानका निर्माण करने वाला सांस्कृतिक सन्दर्भका हिस्सेदार होता है और उनलोगोका संरक्षण और विकास करना चाहता है ।

धारा ३ (पहचान और सांस्कृतिक धरोहर)

प्रत्येकको, अकेले और समुहमे दुसरेके साथ, निम्न अधिकारों की प्राप्ति होगी:

क) सांस्कृतिक अभिव्यक्तिके विविधि माध्यमोंके विचसे किसी एकको निर्धारित करना और अपने सांस्कृतिक पहचानका समान प्राप्त करनेका अधिकार प्राप्त होगा । इस अधिकारका उपयोग खासकर चिन्तन, आस्था, धर्म और अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर सम्बन्धका आधार किया जायेगा ।

ख) अपने सांस्कृतिक पहचान की जानकारी पाना और अपने संस्कृतिके साथ ही विविधताओं से भरा उन सभी संस्कृतियोंको सम्मान पानेका अधिकार होगा, जो मानवताके संयुक्त संपदा वा धरोहरका निर्माण करता है । इस अधिकार से खासकर मानव अधिकार और आधारभूत मौलिक स्वतन्त्रताको दिग्दर्शित करता है, क्योंकी यह अधिकार इस धरोहरका मुल्य है ।

ग) उल्लेखनिय रुपमें शिक्षा और सूचनाके अधिकारको प्रयोगद्वारा सांस्कृतिक धरोहरके लिए पहुँचका अधिकार होगा जो वर्तमान एवं भविष्यके सभी पुस्तायों के लिए विविधि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति एवं स्रोत संसाधनका निर्माण करता है ।

धारा ४ (सांस्कृतिक समुदाय प्रति सन्दर्भ उल्लेखन)

क) किसी भौगोलिक सिमाके सम्बन्ध विना प्रत्येक व्यक्ति कोइ एक वा अनेक सांस्कृतिक समुदायके पहचानको निर्धारित वा अनिर्धारित और इस तहरके निधारणको बदलने के लिए स्वतन्त्र है ।

ख) कोइ भी व्यक्ति बलपूर्वक सांस्कृतिक पहचान ग्रहण करने और अपने इच्छा विरुद्ध किसी सांस्कृतिक समुदायमे आवद्ध होनेके लिए बाध्य नही होगा ।

धारा ५ (सांस्कृतिक जीवन प्रति पहुँच एवं सहभागिता)

क) प्रत्येक व्यक्तिको अकेले वा समुहमे दुसरेके साथ, किसी भौगोलिक सिमाके सम्बन्ध विना अपने द्वारा निर्धारित क्रियाकलापोंके माध्यम द्वारा विना रोक टोक सांस्कृतिक जीवनमें पहुँच स्थापित करने वा सहयोगी होनेका अधिकार प्राप्त होगा ।

ख) खासकर इस अधिकारके भितर निम्न बाते समाहित होगें

- अपने द्वारा निर्धारित भाषा मे सार्वजनिक वा व्यक्तिगत रुपमे खुदको अभिव्यक्त करनेका अभिव्यक्तिका स्वतन्त्रता ।
- इस घोषणापत्रममे मान्यता प्राप्त अधिकारोके अनुरुप अपने सांस्कृतिक व्यहवारकोका अवलम्बन करना और अपने सांस्कृतिक स्रोत-संसाधनोका प्रवर्धन होने योग्य जीवन पद्दतीका अनुसरन वा अवलम्बन करनेका स्वतन्त्रता उल्लेखनीय रुपमे यह वस्तु और सेवायोंको प्रयोग और उत्पादनके क्षेत्रमे सम्बन्धित रहेगा ।
- ज्ञानके विकाश और आर्दान प्रदानमे हिसेदार होना और सांसकृतिक अभिव्यक्ति करना, अनुसन्धान करना और विभिन्न प्रकारके सृजनाओं मो सहभागी होना और उससे लाभांवित होनेकी स्वतन्त्रता ।
- सांस्कृतिक कृयाकलापके परिणामके रुपमे सृजति उपलब्धियों वा सृजनायों से सम्बन्धित नैतिक तथा भौतिक सावर्थोंके संरक्ष्ण करनेका अधिकार पाना ।

धारा ६ (शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

शिक्षाके अधिकारके सर्वमान्य संरचनाके दायरा मे रहकर प्रत्येक व्यक्तिको अकेले वा समूहके अन्य व्यक्तियोंके साथ मिलकर जीवनभर शिक्षा और शिक्षणका अधिकार होगा, जिससे शिक्षाके आवश्यकताके परिपुर्तिद्वारा उसके सांस्कृतिक पहचानके स्वतन्त्रत एवं

पूर्ण विकाशमे योगदान देगा । इससे दुसरेको वैसाही अधिकार और सांस्कृतिक विविधताके समानमे भी योगदान होगा यह अधिकारसे निम्न विषयों के समाहित करेगा :

क) मानव अधिकारका शिक्षा और ज्ञान,

ख) अपने ही वा दुसरेके भाषामे शिक्षा प्रदान करनेका वा शिक्षा प्राप्त करनेकी और अपनेही संस्कृति वा दुसरेका संस्कृति के बारेमें ज्ञान प्राप्त करनेकी स्वतन्त्रता,

ग) बालबालिका के उसीके क्षमताके आधारमे चिन्तन, आस्था और धर्म ग्रहन करने की स्वतन्त्रताका समान करते हुए, अपने आस्था अनुरुप पुत्र-पुत्रीको नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा सुनिश्चित करनेका माता-पिताको स्वतन्त्रता,

घ) सार्वजनिक निकायोंद्वारा संचालनके अलावा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नियमों तथा व्यवहार प्रचलनके तहत रहकर अन्य शैक्षिक संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त करने कि व्यवस्था हेतु शैक्षिक संस्थाओंका स्थापना करना, निर्देशित करना और उन संस्थाओंमो निर्माण करनेकी स्वतन्त्रता । ऐसे स्वतन्त्रताओंको उपयोग करते समय उन संस्थाओं से शिक्षाके क्षेत्रमे लागु अन्तर्राष्ट्रिय नियमों, व्यवहार प्रचलनों और राज्यद्वारा लागु न्युनतम नियमोके अनुरुप करना होगा ।

धारा ७ (सञ्चार और सूचना)

कला सृजना -स्वतन्त्रताके साथ साथ विचार और सूचनाके स्वतन्त्रता सहित अभिव्यक्तिके स्वतन्त्रताके सामान्य दायराके भितर साथ ही सांस्कृतिक विविधताको भी सम्मान करते हुए, प्रत्यके व्यक्तिको, अकेले तथा समूहके दुसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर, स्वतन्त्र और बहुआयामिक सूचना प्राप्त करनेका अधिकार हो जिससे सांस्कृतिक पहचानके पूर्ण विकाशके लिए योगदान करेगा । इस अधिकारसे, जिसका प्रयोग भौगोलिक सीमाके सम्बन्ध विना किया जा सकता है, निम्न बातोको अंगिकार करता है:

क) सूचना खोजनेका, प्राप्त करनेका और प्रदान गरनेका स्वतन्त्रता,

ख) अपने पसंन्दिदा भाषामें बहुआयामकि सूचना प्राप्त करने के कार्यमे सम्मीलित होने की स्वतन्त्रता, जिससे सूचना के माध्यम वा प्रविधिके प्रयोगद्वारा उन बहुआयामिक सूचनाके उत्पादन और प्रसारणमे योगदान करे,

ग) इस घोषणापत्रमे अभिव्यक्त अधिकारोंको पूर्ण सम्मानके साथ किसि भी संस्केृतिके संबन्धमे अभिव्यक्त गलत एवं त्रुटिपूर्ण सूचना प्रवाहमे प्रतिक्रिया देने की स्वतन्त्रता ।

धारा ८ (सांस्कृतिक सहयोग)

प्रत्यके व्यक्तिको अकेले वा समूहके दुसरे व्यक्तिओंके साथ मिलकर प्रजातान्त्रिक प्रकृया अनुरुप निम्न बातो मे सहभागी होनेका अधिकार होगा:

क) खुद सदस्य रहे हुए समुदायके सांस्कृतिक विकाश मे,

ख) अपने सांस्कृतिक अधिकारके उपयोग से सम्बन्धित और पूर्ण उपयोगको प्रभावित करने वालो किसि भी निर्णयोंको विस्तृतिकरण, कार्यान्वयन और मुल्यांकन के प्रकृया में ।

ग) विभिन्न श्रेणीमे सांस्कृतिक सहयोगके विकाशके कार्यमे ।

धारा ९ (प्रजातान्त्रि शासनके सिद्धान्त)

इस घोषणापत्रमे उल्लेखित अधिकारोंके समान, संरक्षण और परिपूर्णताका दायित्व सभी व्यक्ति और समुदायमे निहित है । तीन भिन्न क्षेत्रोमें स्थित सांस्कृतिक अधिकरके क्षेत्रमें कार्यरत कर्ताओं - सार्वजनिक, निजी और नागरिक समाज, प्रजातान्त्रि शासन प्रणालीके दायरे मे इस सम्बन्धमे अन्तरक्रिया करना और आवश्यता परने पर, निम्न उद्देश्य पूर्तिके लिए विशेष पहल करेनेके विषयमे खास जिम्मेवारी निहित रहा है :

क) सांस्कृतिक अधिकारके समानताको सुनिश्चित करने के लिए और उनके उपयोगके प्रत्याभूतिके लिए परामर्श और सहभागिताके माध्यमोका विकाश करना और खास कर ऐसा करने से सामाजिक हैसियत और अल्पमतमे रहे हुएको विशेष ध्यान देने के लिए,

ख) खासकर प्रार्याप्त सूचनाके अधिकारके अन्तरक्रियात्मक उपयोगका प्रत्याभूति करते हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रमे सांस्कृतिक अधिकारोंका सभी कर्ताओने उचित ध्यान दियो है इस बातको सुनिश्चित करना,

ग) सभी प्रकारके मानव अधिकारों, खासकर सांस्कृतिक अधिकारोंके लिए समझदारी और सम्मानके लिए अपने अकर्मचारियोंको प्रशिक्षित करना और सार्वजनिक चेतना निर्माण करना ।

घ) सभी प्रकारके मानव अधिकारके सांस्कृतिक आयामका पहचान करते हुए और उसे ध्यानमें रखते हुए सभी व्यक्तियो. से इन अधिकारोंको अकेले वा समूहमे दुसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर उपभोग करेन के लिए विविधताके बिचमे विश्वाव्यापिताको प्रवर्द्धन करना ।

धारा १० (अर्थ व्यवस्थाके अन्दर संलग्नता)

खास अधिकार और जिम्मेवारीयोंको संरचनाको दायरेमे सार्वजनिक, निजी और नागरिक समाजके अन्तरर्गतके कताओंद्वारा निम्न बाते करनी होगी :

क) सांस्कृतिक वस्तुओं तथा सेवाओ, जो सांस्कृतिक मुल्य, पहिचान और अर्थ समाहित (निहित) किए होता है और सभी ही अन्य विषय वस्तुओं जो जिस हद तक जविन पदद्दती और सांस्कृतिक अभिव्यक्तिमे प्रभावकारी होता है उसके अवधारणा विकाश करते समय वा उत्पादन करते समय इस घोषणा पत्रमे उललेखित अधिकारोंको किसिभी रुपमे नकारात्मक प्रभाव नदे इस बातको सुनिश्चित करना,

ख) वस्तुओं और सेवाके सांस्कृतिक सम्मिलिनता से गरिवी बन्चित और किसी भेदभावके शिकार होनेके कारण से जन्मे हुए परिणामके कारण किसी कठिन परिस्थितिमे परेहुए व्यक्तिओंके सम्बन्धमे खास महत्व रखता है इस विषयको ध्यान पूर्वक मध्यनजर करना ।

धारा ११ (सार्वजनिक क्षेत्रके कताओंके जिम्मेवारी)

सार्वजनिक क्षेत्रके राज्य तथा दुसरे कर्ताओं सें उसे दिए गए स्पष्ट अधिकार एवं जिम्मेवारीके संरचनाके दायरेमे रहकर निम्न अनुसार करना होगा:

क) प्रस्तुत घोषणा पत्रमे उल्लेखित अधिकारोंको राष्ट्रिय कानून तथा प्रचलनो के साथ एकीकृत करना,

ख) समानताके अवस्थामे इस घोषणा पत्रमे व्यवस्थित एवं व्याख्या किए हुए आधिकारोंका समान संरक्षण और परिपुर्तिका व्यवस्था करना और उसके पूर्ण उपयोगके लिए उन लोगोको स्रोत संसाधन से अधिकतम खर्चका व्यवस्था करना,

ग) अकेले वा समुदायके अन्य व्यक्तिओं से मिलकर अपने सांस्कृतिक अधिकारके उल्लंघन होनेके दाबी करने वालोको प्रभावकारी उपचार खासकर न्यायिक उपचारको सुनिश्चित करना,

घ) इस के कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाओं के साथ अर्न्तक्रियाओको धनिभूत करते हुए आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगके माध्यमोको मजबुत करना ।

धारा १२ (अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाओंको जिम्मेदारी)

अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाओं अपने खास कार्यक्षेत्र और जिम्मेवारियोके परिधिके दायरेमे रहकर निम्नानुसार करना होगा :

क) अपने सम्पूर्ण गतिविधियोमे सांस्कृतिक अधिकार और दुसरे मानव अधिकारके दायरेमे रहे सांस्कृतिक आयामोको क्रमिक रुपमे आत्मसाथ किए हुएको सुनिश्चित करना,

ख) सांस्कृतिक अधिकारको सम्पूर्ण अवाश्यक संयन्त्रो और अनुगमन संरचनाके दायरेमे एक रुपता और प्रगतिशीलताके साथ समाहित किए हुएको सुनिश्चित करना,

ग) सामुहिक पारदर्शी और प्रभावकारी मुल्यांकन और अनुगमन संयन्त्रोके विकशमे योगदान करना।

सन् २००७ मई ७ तारिख मे फ्रि वर्गमे ग्रहण किया हुआ इसके संम्पादनमे आजके ताखि तक संलग्न कार्य समूह अथवा फ्रिवर्ग समूह निम्नानुसार है

ताएव बकाउछे, अरब ह्यमन राइट्स इन्स्टिच्युट तथा ट्युनिस युनिभर्सिटी

माइलोन विदाउल्छ, पेरिस तथा जेनेभा युनिभर्सिटी

मार्को वोर्धा, फ्रिवर्ग युनिभर्सिटी

कलाउड डालबोरा, कन्सल्ट्यान्ट उआगादुगु

इमानुल डिकस्स, परेरिस युनिभर्सिटी (२)

मोराइल डलमास-मार्टी, कलेज दी फ्रान्स, पेरिस

भाने डन्डर्स, आम्सटर्डम युनिभर्सिटी

अल्फ्रेड फर्नान्डेज, ओआइडिएल, जेनेभा

पियरे इम्बर्ट, पूर्व निर्देशक, मानव अधिकारोंके लिए युरोपियन परिषद्

जीन बर्नाड मेरी, सिएनआरएस, युनिभर्सिटी आर. सुमन, स्टासवर्ग

पेट्राइस मेयर, युनिभर्सिटी अफ फ्रिवर्ग

अब्दुल्ला सो, युनिभर्सिटी दि नुआकचोट

भिक्टर तोपानु, युनेस्को चेयर, युनभिर्सिटी अफ अवोर्म कालाभी, कोटोनु।

इज आलेखके वर्णनमे अन्य अनेको पर्यवेक्षक और विश्लेषकोंका योगदान रहा है।

इस घोषणापत्रको सहयोग और समर्थन करने वालो व्यक्ति तथा संस्थाओ की सूची निम्न वेभ, पता मे दखा जा सकता है

www.unifr.ch/iiedh/fr/recherches/cultural

यह घोषणापत्र, इसके साथ व्यक्तितग तथा संस्थागत रुपसे संलग्नता दिकानेकी चाहत बाले, सभीके लिए सम्बन्ध राखता है । आप व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपसे इसको सहयोग और समर्थन करना चाहते है तो आपको सन्दर्भ और सम्बन्ध सहित किस रुपमे संलग्न होना चाहते है हमे निम्न पते पर पत्राचार करे ।

Institute interdiscriplinaire d'ethique et des droits de l'homme

13, ave. Beauregard CH-1700 Fribourg iiedh@unifr.ch

अन्य विशेष जानकारी समिक्षा, संग्रहित दस्तावेज, कार्यगत दस्तावेज और अनुसन्धान कार्यक्रम उपरोक्त, वेभ पते प्राप्त किया जा सकता है ।

सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र क्यो ?

मानव अधिकार सम्बन्धि आधारभूत दस्तावेजो मे वृद्धि हो रहा है और उसके बिचमे सदैव संगतिताका निश्चितता नही रहने के अवस्थामे, नयाँ आलेख प्रस्ताव करना असामयिक दिखा सकता है । तथापि निरन्तर जारी उल्लंघनके आगे खडा होने पर, वास्तविक तथा संभाव्य युद्धके कारणका वडा अंश सांस्कृतिक अधिकारका उल्लंघन रहा है तथा इस अधिकारके सम्बन्धमे अज्ञानतासे अनेकौं विकास रणनीति अपर्याप्त दिखने की स्थिति के तथ्यपरक विचार करते हुए हम इस निश्कर्ष मे पहुचे है की सांस्कृतिक अधिकारका सिमान्तकृतता से मानव अधिकारके विश्वव्यापकता और अविभाज्यता असफल हो रहा है ।

सभी प्रकारके मानव अधिकारो अविभाज्य और एक दुसरेके प्रति अन्तर्रानिहित रहा है और खासकर सांस्कृतिक अधिकारको महत्वको स्पष्ट करके ही सांस्कृतिक विविधता के संरक्षणमे हालहीमें हुए विकाशोको समझना तथा सांपेक्षतावादको इन्कार किया जा सकता है ।

इस प्रस्तुत घोषणापत्रसे पहेली ही मान्यताप्राप्त विभिन्न दस्तावेजोंमे विखराओके स्थितिमे रहे अधिकारको संग्रहित और व्याख्या किया गया है । यह सांस्कृतिक अधिकार तथा दुसरे मानव अधिकारके भितर सांस्कृतिक आयामोका अत्यन्त महत्व रहा है, जो स्पष्ट करना आवश्यक है ।

यस प्रस्तुत आलेख फ्रिवर्ग समूह, स्वीटजरलैण्ड स्थित फ्रिवर्ग विश्व विद्यालयके मर्यादा और मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तर विषयक संस्थाद्वारा संगठित हुए है कहा गया है, अन्तर्राष्ट्रिय कार्य समूहद्वारा कहे गए युनेस्को के लिए पाण्डुलिपी तयारकर गहन ढंगसे परिमार्जित किए गए नयाँ दस्तावेजको नयाँ संस्करण है। विभिन्न उत्पत्ति, हैसियत और क्षमताके कर्ताओंके विचके गहन मनन के वाद नतिजाके रुपमे रहा ये दस्तावेज इसमे व्यक्त किए गए अधिकार, स्वतन्त्रता और जिम्मेदारियो के विकाशमे सहभागि होने के चाहत रखने वाले व्यक्तियों, समुदायों, संस्थाओं और संगठनोमे समर्पित किया गया है ।

Translator: Mr. Sunil Ranjan Singh
(Kathmandu School of Law, Nepal)